न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 56/2018 **दायर तारीख :–** 14-08-2018

1. रामेश्वर पुत्र प्रभात जाति मीणा निवासी माजीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. सौणीलाल दत्तक पुत्र गौरिया (फौत)
   - 1/1. संजू
   - 1/2. किशन
   - 1/3. रजनी

   } पुत्रान स्व0 सौणीलाल

   - 1/4. गीता
   - 1/5. आंची
   - 1/6. कल्ली
   - 1/7. रजू
   - 1/8. मंजू

   } पुत्रियान स्व0 सौणीलाल

   - 1/9. सरती देवी पत्नि स्व0 श्री सौणीलाल
   - 1/10. सावत्री देवी पत्नि स्व0 श्री सौणीलाल
2. गगाधर पुत्र छीतर (फौत)
   - 2/1. रमेश
   - 2/2. पूरण
   - 2/3. सुरेश

   } पुत्रान स्व0 गंगाधर

   - 2/4. प्रेम देवी
   - 2/5. माया देवी
   - 2/6. बबल देवी
   - 2/7. मोटा देवी

   } पुत्रियान स्व0 गंगाधर

   - 2/8. बिदामी देवी पत्नि स्व. श्री गंगाधर
3. बन्ना पुत्र छीतर
4. गुल्ली देवी पत्नि सुवालाल
5. हजारी पुत्र सुवालाल
6. कौशल्या पुत्री सुवालाल
7. नेतराम पुत्र जैसा
8. रोहित पुत्र जैसा
9. अनोप देवी पत्नि जैसा
10. गुंगी पुत्री जैसा
11. मोटा पुत्री जैसा
12. सरोज पुत्री जैसा
13. पूजा पुत्री जैसा
14. माफी पुत्री जैसा
15. जम्बूरी पत्नि कैलाश

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

16. मालीराम पुत्र कैलाश
17. सुरेश पुत्र कैलाश
18. श्रीराम पुत्र कैलाश
19. सुनील पुत्र कैलाश
20. कृष्णा पुत्री कैलाश
21. विजय पुत्र राजू
22. भैरू पुत्र सरदारा
23. ओमप्रकाश पुत्र सरदारा
24. उगन्ता पुत्री सरदारा
25. मूली पुत्री सरदारा
26. सीता देवी पुत्री सरदारा

समस्त जाति मीणा निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा—53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता वादी
श्री आनंद सिंह शेखावत, प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/4 से 1/9
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/8, 3 लगायत 26
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 23.02.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1571/1.25 हैक्टेयर की खातेदारी में वादी का हिस्सा 1/2 एवं शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। सह खातेदार शांति बेवा छीतर फौत हो चुकी है, जिसका जरिये नामान्तकरण संख्या 2799 दिनांक 20.04.2018 द्वारा उसकके वारिसान का नाम आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। तथा सह खातेदार कैलाश पुत्र छीतर भी फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 वारिसान हैं तथा सह खातेदार जैसा पुत्र सुवालाल व सरदारा पुत्र सुवालाल भी फौत हो चुके है। जिनके वारिसान प्रतिवादीगण है, जिनका नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में जरिये नामान्तकरण दर्ज हो चुका है। यह है कि वाद ग्रस्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मोके पर अपने—अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद ग्रस्त आराजी का बंटवारा नहीं हुआ है, किन्तु अब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 26 के मन में दुर्भावना आ गई है और उन्होंने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है। तथा बिना बंटवारा करवाये बिना ही वाद ग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू—भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमदा है। यह है कि इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने उक्त मनसूबों मे कामयाब हो गये तो वादी को अकथनीय हानि होगी, जिसकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के धन के रूप में नहीं होगी। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1571/1.25 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर, उक्त बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादी को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/7 नाबालिग होने से श्री आनंद सिंह शेखावत को कोर्टवल्ली नियुक्त किया गया। शेष प्रतिवादीगण सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम भाबरू खाता संख्या 552 संवत् 2072–2075 आदि पेश किए गये।
4. प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावा में कथन रहे कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1571/1.25 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम भाबरू में स्थित होना सही है। वाद ग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जब तक कानूनी बंटवारा नहीं हो जाता सभी सहखातेदारों का प्रत्येक इंच भूमि पर बराबर का कब्जा काश्त होता है। वादी महज प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करता रहता है एवं पूर्व में भी नाम बदल कर प्रतिवादीगण का नाम उपर–नीचे क्रम में लिखकर दो बार बंटवारा का दावा पेश कर अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज करवा चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने न तो भूमि का बेचान किया है और न ही भूमि बेचने की धमकी दी है और किसी भी सह खातेदार को उसकी जरूरत पर अपनी खातेदारी भूमि को बेचान करने के पूर्ण हक अधिकार हैं। सह खातेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि बेचान करने से दूसरे सह खातेदार को किसी प्रकार की हानि नहीं होती हैं। यह है कि वाद में वादी ने रिलीफ भाग में कानूनी बंटवारा चाहा है जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी भी इन्का नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 भी कानूनी बंटवारा करवाने के लिए सहमत है। तथा विशेष कथन रहे कि वादी ने पूर्व में भी दो बार वाद ग्रस्त आराजी के बंटवारे का दावा पेश किया है एवं अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करवाता रहा है एंव प्रतिवादी जो कि एक वृद्व व्यक्ति है को बेजा हैरान व परेशान करता रहता है, जिससे वादी का वाद तंग व परेशान करने के आधार पर खारिज किया जावें। यह है कि वाद ग्रस्त आराजी हाल खसरा नंबर 1571 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लगती हुई भूमि है जो उत्तर साक्षेप लंबाई में स्थित है, जिससे उक्त भूमि को उत्तर–दक्षिण लंबाई में सडक से लगती हुई दो पाटियों के रूप में विभाजन किया जाना आवश्यक है, ताकि दोनों पक्षों का राजमार्ग तक आसानी से पहूंच हो सके। एवं इस तरह बंटवारा किए जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा विशेष कथन में वर्णित अनुसार बंटवारा किए जाने की कृपा करें।

5. पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 15.10.2019 को बहस प्राथमिक डिक्री सुनी गई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।

6. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

7. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम भावरू के खसरा नम्बर 1571/1.25 हैक्टेयर की खातेदारी में वादी का हिस्सा 1/2 एवं शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। यह है कि वादी एवं प्रतिवादी गण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थना पत्र उजरात कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया गया। अधिवक्ता वादी की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र उजरात कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया गया। बहस उजरात कुर्रेजात रिपोर्ट सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत उजरात कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

9. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	रामेश्वर पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0	1571 / 0.6250 हैक्टेयर
2	आंची पुत्र सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा कल्ली पुत्री सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा कृष्ण पुत्र सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा गीता पुत्री सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा मंजू पुत्री सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा रजनेश पुत्र सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा रजनी पुत्री सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा संजय पुत्र सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा सावित्री पत्नि सोणीलाल हिस्सा 1 / 18 जाति मीणा ख्यालीराम पुत्र कैलाश हिस्सा 1 / 56 हिस्सा जाति मीणा गंगाधर पुत्र छीतर हिस्सा 1 / 8 जाति मीणा दीपा देवी पत्नि नेतराम हिस्सा 1 / 320 जाति मीणा अनोप पत्नि जयसिंह हिस्सा 1 / 320 जाति मीणा गुंगी पुत्री जयसिह हिस्सा 1 / 320 जाति मीणा रोहित पुत्र जयसिंह हिस्सा 1 / 320 जाति मीणा जम्बूरी पत्नि कैलाश हिस्सा 1 / 56 जाति मीणा बन्ना पुत्र छीतर हिस्सा 1 / 8 जाति मीणा गुल्ली देवी पत्नि सुवालाल हिस्सा 1 / 40 जाति मीणा सुरेश पुत्र कैलाश हिस्सा 1 / 56 जाति मीणा मोटा पुत्री जयसिंह हिस्सा 1 / 320 जाति मीणा	1571 / 1 / 0.6250 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	सरोज पुत्री जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा श्रीराम पुत्र कैलाश हिस्सा 1/56 जाति मीणा सुनील पुत्र कैलाश हिस्सा 1/56 जाति मीणा हजारी पुत्र सुवा हिस्सा 1/40 जाति मीणा भैरू पुत्र सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा विजय पुत्र राजू हिस्सा 1/56 जाति मीणा माफी पुत्री जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा पूजा पुत्री जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा कृष्णा पुत्री कैलाश हिस्सा 1/56 जाति मीणा ओमी पुत्री सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा मूली पुत्री सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा उगन्ता पुत्री सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा सीता पुत्री सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा कौशल्या पुत्री सुवा हिस्सा 1/40 जाति मीणा	

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे।. उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. रामेश्वर पुत्र प्रभात जाति मीणा निवासी माजीपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. सौणीलाल दत्तक पुत्र गौरिया (फौत)
   - 1/1. संजू, 1/2. किशन, 1/3. रजनी — पुत्रान स्व0 सौणीलाल
   - 1/4. गीता, 1/5. आंची, 1/6. कल्ली, 1/7. रजू, 1/8. मंजू — पुत्रियान स्व0 सौणीलाल
   - 1/9. सरती देवी पत्नि स्व0 श्री सौणीलाल
   - 1/10. सावत्री देवी पत्नि स्व0 श्री सौणीलाल
2. गगाधर पुत्र छीतर (फौत)
   - 2/1. रमेश, 2/2. पूरण, 2/3. सुरेश — पुत्रान स्व0 गंगाधर
   - 2/4. प्रेम देवी, 2/5. माया देवी, 2/6. बबल देवी, 2/7. मोटा देवी — पुत्रियान स्व0 गंगाधर
   - 2/8. बिदामी देवी पत्नि स्व. श्री गंगाधर
3. बन्ना पुत्र छीतर
4. गुल्ली देवी पत्नि सुवालाल
5. हजारी पुत्र सुवालाल
6. कौशल्या पुत्री सुवालाल
7. नेतराम पुत्र जैसा
8. रोहित पुत्र जैसा
9. अनोप देवी पत्नि जैसा
10. गुंगी पुत्री जैसा
11. मोटा पुत्री जैसा
12. सरोज पुत्री जैसा
13. पूजा पुत्री जैसा
14. माफी पुत्री जैसा
15. जम्बूरी पत्नि कैलाश
16. मालीराम पुत्र कैलाश

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

17. सुरेश पुत्र कैलाश
18. श्रीराम पुत्र कैलाश
19. सुनील पुत्र कैलाश
20. कृष्णा पुत्री कैलाश
21. विजय पुत्र राजू
22. भैरू पुत्र सरदारा
23. ओमप्रकाश पुत्र सरदारा
24. उगन्ता पुत्री सरदारा
25. मूली पुत्री सरदारा
26. सीता देवी पुत्री सरदारा

समस्त जाति मीणा निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 56/2018 **दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता वादी** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/4 से 1/9** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 1571/1.25 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर, उक्त बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा वादी को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	रामेश्वर पुत्र प्रभात हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा0	1571/0.6250 हैक्टेयर
2	आंची पुत्र सोणीलाल हिस्सा 1/18 जाति मीणा कल्ली पुत्री सोणीलाल हिस्सा 1/18 जाति मीणा कृष्ण पुत्र सोणीलाल हिस्सा 1/18 जाति	1571/1/0.6250 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	मीणा गीता पुत्री सोणीलाल हिस्सा 1/18 जाति मीणा मंजू पुत्री सोणीलाल हिस्सा 1/18 जाति मीणा रजनेश पुत्र सोणीलाल हिस्सा 1/18 जाति मीणा रजनी पुत्री सोणीलाल हिस्सा 1/ 18 जाति मीणा संजय पुत्र सोणीलाल हिस्सा 1/18 जाति मीणा सावित्री पत्नि सोणीलाल हिस्सा 1/18 जाति मीणा ख्यालीराम पुत्र कैलाश हिस्सा 1/56 हिस्सा जाति मीणा गंगाधर पुत्र छीतर हिस्सा 1/8 जाति मीणा दीपा देवी पत्नि नेतराम हिस्सा 1/320 जाति मीणा अनोप पत्नि जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा गुंगी पुत्री जयसिह हिस्सा 1/320 जाति मीणा रोहित पुत्र जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा जम्बूरी पत्नि कैलाश हिस्सा 1/56 जाति मीणा बन्ना पुत्र छीतर हिस्सा 1/8 जाति मीणा गुल्ली देवी पत्नि सुवालाल हिस्सा 1/40 जाति मीणा सुरेश पुत्र कैलाश हिस्सा 1/56 जाति मीणा मोटा पुत्री जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा सरोज पुत्री जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा श्रीराम पुत्र कैलाश हिस्सा 1/56 जाति मीणा सुनील पुत्र कैलाश हिस्सा 1/56 जाति मीणा हजारी पुत्र सुवा हिंस्सा 1/40 जाति मीणा भैरू पुत्र सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा विजय पुत्र राजू हिस्सा 1/56 जाति मीणा माफी पुत्री जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा पूजा पुत्री जयसिंह हिस्सा 1/320 जाति मीणा कृष्णा पुत्री कैलाश हिस्सा 1/56 जाति मीणा ओमी पुत्री सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा मूली पुत्री सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा उगन्ता पुत्री सरदारा हिस्सा 1/200 जाति	

कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

	मीणा सीता पुत्री सरदारा हिस्सा 1/200 जाति मीणा कौशल्या पुत्री सुवा हिस्सा 1/40 जाति मीणा	

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य...................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 23.02.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)